कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**

प्रार्थी **सर्वश्री विजय निर्माण कम्पनी प्रा0 लि0, सी-009, विवेक विहार, सेक्टर-82, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा ।**

प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक **111 / 09, 13.11.2009**

प्रार्थी की ओर से **कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री विजय निर्माण कम्पनी प्रा0 लि0, सी-009, विवेक विहार, सेक्टर-82, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा द्वारा दिनांक 13.11.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि इनको M/s JAI PRAKASH ASSOCIATES LTD से sub contractor के रूप में YAMUNA EXPRESS WAY PROJECTS में कार्य करने का ठेका प्राप्त हुआ है । M/s JAI PRAKASH ASSOCIATES LTD द्वारा प्रार्थी को किये जा रहे अग्रिम भुगतान में वाणिज्य कर की धनराशि के रूप में '' स्रोत पर कटौती '' की जा रही है । प्रार्थी द्वारा उक्त '' स्रोत पर कटौती '' के औचित्य को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है । ''

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 06.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर सम्भाग-बी, नोएडा द्वारा पत्र संख्या-2191, दिनांक 29.12.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-34 (1) के अन्तर्गत संविदी पर यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वर्क कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत किये जाने वाले भुगतान पर स्रोत पर कटौती करके जमा किया जायेगा । स्रोत पर कटौती करने विषयक प्राविधान शासन की विज्ञप्ति संख्या-763, दिनांक 04.03.2008 द्वारा उत्तर पदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-34 (1) के अन्तर्गत प्राविधानित की गयी है । प्रार्थी को जो भुगतान एडवान्स में प्राप्त हो रहा है वह वर्क कान्ट्रैक्ट से ही सम्बन्धित है तथा बाद में अग्रिम भुगतान को अन्तिम भुगतान में समायोजित किये जाने की शर्त भी अन्तर्निहित है । अत: उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्क कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले एडवान्स भुगतान को स्रोत पर कटौती की सीमा से बाहर रखने का प्राविधान शासनादेशों में नहीं है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्क कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अग्रिम भुगतान में से की जाने वाली स्रोत पर कटौती (टी0 डी0 एस0) का औचित्य स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है ।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन

....2

कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त प्राविधानों में स्रोत पर कटौती के सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट करने से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दिया जाना प्राविधानित नहीं है । स्रोत पर कटौती के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-34 (1) में प्राविधान किया गया है अत: इस सम्बन्ध में उत्पन्न प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 से आच्छादित न होने के कारण ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर सम्भाग-बी, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि प्रार्थी का अनुरोध उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती से सम्बन्धित अनुरोध पर कोई विनिश्चय नहीं किया जा सकता है । अत: प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 14 मार्च, 2014

ह0 / 14.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।